क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः—राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत नारायणबगड चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.583 हे0 वन वनपचायत हे0 कुल 1.583 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

नारायणबगड़ —चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.583 हे0 वन भूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दुगने क्षेत्रफल में चयनित ग्राम—सुय्या राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र मुन्दोली तहसील थरली जिला चमोली की एन0जेड0ए0 खतौनी श्रेणी 9:— 3(ड़) अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि खतौनी खाता संख्या 11 खसरा खसरा न0 2083म0 हे0 कुल 3.166 हे0 सिविल भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी है। जिस पर वर्तमान में राज्य सरकार का स्वामित्व है।

राजस्व उपनिरीक्षक
~~नलधूसा~~।
I/C प्रमोद सिंह नेगी
रा0उ0नि0क्षेत्र मुन्दोली
तहसील थराली
जिला-चमोली

तहसीलदार
तहसीलदार
थराली।

उपजिलाधिकारी
थराली

वन क्षेत्राधिकारी
पिण्डर रेंज
नारायणबगड़

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

जिला अधिकारी
चमोली

भूलेख प्रपत्र सं0 प–11

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
~~44~~	श्रेणी 9:3 (ड़.)	अन्य कारणों से कृषि योग्य बंजर भूमि :-													
44	बंजर		2083	0.359			पौवीहुगा								

NOTE:- नक्शा खसरा N.Z.A ग्राम सुया अन्तर्गत खाता संख्या 44 श्रेणी 9:3 (ड़.) खसरा नं० 2083 रक० 3.166 है० भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित।

18/7/19

I/C

प्रमोद सिंह नेगी
रा०उ०नि०क्षेत्र
तहसील
जिला चमोली

C-G

तहसीलदार
थराली

उपजिलाधिकारी
थराली

(4)

भूलेख प्रपत्र सं0 प–11

43	घास		767	15.158	- डी(बाड़)	
		योग	1	15.158	—x—	
				([illegible])		
	योग श्रेणी 9-3(घ)		4	16.241	—x—	
				(६९२)		
	श्रेणी 9:-3(5) अन्य भारती कि कृषि योग्य बंजर भूमि:-					
44	बंजर		65	0.020	[illegible]	
			66	0.005	—	
			67	0.010	—	
			87	0.033	—	
			89	0.083	—	
			90	0.030	—	
			91	0.010	—	
			92	0.050	—	
			107	0.055	—	
			120	0.065	[illegible]	
			144	0.40	—	
			174 5.	0.753	—	
			178	0.030	—	
			189	0.201	[illegible]	
			192	0.121	—	
			193	0.188	—	
			196	1.561	—	

तहसीलदार
थराली

प्रमोद सिंह नेगी
रा0नि0क्षेत्र
तहसील थराली
जिला-चमोली

उपजिलाधिकारी
थराली

भूलेख प्रपत्र सं0 प–11

बंजर —×—					वन —×		2094	1.160
	1813	0045	ब्रिगसा				2098	0.123
	1815	0030	—"—				2099	0.123
	1849	0030	—"—				2104	0.108
	1853	0060	—"—				2113	1.003
	1855	0035	—"—				2131	0020
	1859	0060	—"—				2147	0020
	1862	0.125	—"—				2148	0018
	1863	0.160	—"—				2156	0.181
	1867	0753	—"—				2158	0065
	1870	0030	—"—				2163	0.105
	1874	0050	—"—				2165	0018
	1908	0010	ओरसार				2167	0020
	1926	0015	खलवाली				2171	0010
	1936	0020	घरवाड़ी				2180	0025
	2013	0010	मध्यागाम				2183	0.230
	2030	0.140	—"—				2188	0.180
	2037	0.140	—"—				2197	1.621
	2040	0008	उगा(कुल)				2199	0060
	2049	0025	घरवाड़ी				2206	0.125
	2051	0010	—"—				2213	0025
	2083	6.359	पोखरी डुंगा				2224	0.181
	2091	0018	[illegible]				2227	[illegible]
	2093	0.335	—"—					

प्रमोद सिंह नेगी
रा0नि0क्षेत्र
तहसील
जिला-चमोली

C-S.
उपजिलाधिकारी
थराली

तहसीलदार
थराली

कार्य का नाम – जनपद चमोली मे राज्य योजना के अन्तर्गत नारायणबगड –चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग निर्माण के एवज मे क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित सूच्या सिविल 3.166 है०

I/C प्रमोद सिंह नेगी
रा०उ०नि०क्षेत्र
तहसील
जिला-चमोली

JE सहायक अभियन्ता
लो०नि०वि०

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
थराली (चमोली)

उपजिलाधिकारी
थराली

तहसीलदार
थराली

44

Attachement 1.6

FORM-I

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector, Chamoli

No--- Dated-04/10/2021

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 1.583 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department for Construction of Narayanbagar-Chopta Motor Road to Paithani Motor Road. in Chamoli district falls within jurisdiction of Paithani, Banela village (s) in Tharali tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.583 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

Attachement 1.6 (A)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
District Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Sri .Himanshu Khurana.......... I.A.S deputy commissioner, on dated .... at time .11:30.A.M......at Chamoli in which application claiming rights in Paithani, Banela area measuring 1.583 hect for the Construction of Narayanbagar-Chopta Motor Road to Paithani Motor Road. forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Tharali sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Gopeshwar

Dated: 04/10/2021

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe
जिला अधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

Attachement 1.6 (B)

परियोजना का नाम :– जनपद चमोली में नारायणबगड़–चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.583 हे0 वन पंचायत, कुल 1.583 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थराली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील थराली

उपखण्ड तहसील थराली परिक्षेत्र के अन्तर्गत 1.583 हे0 (हे0 आरक्षित वन भूमि, हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 1.583 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.583 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थराली) की दिनांक 08/09/2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सुधीर कुमार PCS, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री सुधीर कुमार पी०सी०एस० उपजिलाधिकारी ———— अध्यक्ष

2– श्री हरीश थपलियाल उप प्रभागीय वनाधिकारी———— सदस्य

3– श्री विपिन राणा सहायक समाज कल्याण अधिकारी–सदस्य / सचिव

4– श्री रणजीत सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र हिमनी नारायणबगड़ ———— सदस्य

5– श्री नारायण राम बी0डी0सी0 क्षेत्र बैनोली ———— सदस्य

6– श्री .... बी0डी0सी0 क्षेत्र ———— सदस्य

उपजिलाधिकारी थराली

सहायक समाज कल्याण अधिकारी जिला– चमोली

रणजीत सिंह रावत क्षेत्र पंचायत सदस्य 16 हिमनी नारायणबगड़ जनपद – चमोली

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया किजनपद चमोली में नारायणबगड़–चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग के परियोजना हेतु 1.583 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ...तहसील थराली... परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चमोली में नारायणबगड़–चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.583 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – थराली
जनपद – चमोली

उपजिलाधिकारी
थराली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – थराली
जनपद – चमोली

Attachement 1.6 (C)

परियोजना का नाम :— जनपद चमोली में नारायणबगड़—चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.583 हे0 वन पंचायत, कुल 1.583 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ~~पैठाणी~~

तहसील — थराली, जनपद — चमोली

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली में नारायणबगड़—चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग हेतु (1.583 हे0 वन पंचायत, भूमि) अर्थात कुल 1.583 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ......पैठाणी...... द्वारा दिनांक......24-01-2015......को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ......पैठाणी...... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

पदमा देवी
सरपंच
वन पंचायत पैठाणी

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत पैठाणी
ह0 सुनीता देवी
दि0.........
विकास खण्ड नारायणबगड़ चमोली

वन पंचायत सदस्य :-

① बिशन दत्त — Bisan dutt
② सिरताज सिंह — सिरताज सिंह
③ मदुली देवी — मदुली देवी
④ जीत सिंह — [signature]
⑤ हलकी राम — [signature]
⑥ राधा देवी — राधा देवी
⑦

Attachement 1.6 (D)

दिनांक 24-01-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत पैठाणी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	शैलेन्द्र सिंह परिहार	[signature]
2-	भरत सिंह	[signature]
3-	मोहन प्रसाद पाण्डे	मोहन प्रसाद पाण्डे
4-	राम सिंह रौतेला	[signature]
5-	धनसिंह परिहार	
6-	त्रिलोक सिंह	[signature]
7-	बिरेन्द्र सिंह	[signature]
8-	धनी राम	धन्नी राम
9-	दल्ली राम	दल्ली राम
10-	महिपाल राम	महिपाल राम
11-	सुनीता देवी	सुनीता देवी
12-	चम्पा देवी	चम्पा देवी
13-	पुष्पा देवी	पुष्पा देवी
14	कुंवर सिंह	[signature]
15-	खिलाप सिंह	[signature]

ह0/–
ग्राम प्रधान

[stamp: प्रधान ग्राम पंचायत ... ह0 सुनीता देवी]

Attachement 1.6 (C)

परियोजना का नाम :– जनपद चमोली में नारायणबगड़–चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.583 हे0 वन पंचायत, कुल 1.583 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – कनोला (ग्राम- काण्डा ख्वाड़)

तहसील – थराली, जनपद – चमोली

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली में नारायणबगड़–चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग हेतु (1.583 हे0 वन पंचायत, भूमि) अर्थात कुल 1.583 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ......कनोला...... द्वारा दिनांक......... 24-01-15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ......काण्डा ख्वाड़......) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

अम्बा देवी
24-01-15

Attachement 1.6 (D)

दिनांक 24/01/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कनेला (ग्राम काण्डा ग्वाड़)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री दयाल सिंह तड़ागी	[illegible]
2.	" धर्म सिंह रौतेला (ग्वाड़)	[illegible]
3.	" दमयन्ती देवी	दमयन्ती देवी
4.	" नन्दन सिंह तड़ागी	[illegible]
5.	" अब्बल सिंह तड़ागी	अब्बल सिंह
6.	" धर्म सिंह रौतेला	धर्म सिंह
7.	कुवर सिंह तड़ागी	[illegible]
8.	पार्वती देवी	पार्वती देवी
9.	महावीर सिंह तड़ागी	[illegible]
10.	दिगपाल सिंह तड़ागी	[illegible]
11.	नीरज सिंह तड़ागी	[illegible]

ह0/- आमा देवी

ग्राम प्रधान 24-01-15

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली
UTTARAKHAND
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI
e_mail :- pwdtharali@gmail.com

पत्रांक 1084/36C दिनांक 13/07/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली में नारायणबगड़–चोपता मोटर मार्ग से पैठानी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.583 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

सन्दर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक सं0 2564/36सी0 दिनांक 02.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में शासन द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपत शर्तो एवं धनराशि के जमा किये जाने की सूचना सहित बिन्दुवार अनुपाल आख्या पूर्व में प्रेषित की गई थी। पुनः अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित है–

क्रम सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	प्रयोक्ता एजेनसी द्वारा वन भूमि के विधिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
3	शर्त सं0 3 (क) के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 3.166 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम सूया सिविल खसरा नं0 2083 एम में प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु देय धनराशि प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0 29/3–5–2 दिनांक 02.07.2021 में उल्लिखित वसूली वर्ष 2022–23 के लिये निर्धारित दर रू0 407992.00 के अनुसार 3.166 हे0 x रू0 407992.00 = रू0 1291702.67 या रू0 1291703.00 मात्र जमा की जानी है।	दिनांक 23.11.2022 को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से रू0 1291703.00(प्रतिपूरक वृक्षारोपण) 1591247.00(एन0पी0वी0) रू0 28,82,950.00(रू0 अठ्ठाईस लाख बयास्सी हजार, नौ सौ पचास) की धनराशि जमा करा ली गई है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरो पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
5	शर्त सं0 5 (क) के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं0 5–3/2011–एफ0सी0(Vol-1) दिनांक 06.01.2022 से संशोधित एन0पी0वी0 की दर के अनुसार देय 1.583 हे0 प्रति दर रू0 1005210 = रू0 1891247.43 जमा की जानी है। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध मूल्य अतिरिक्त राशि यदि जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	दिनांक 23.11.2022 को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से रू0 1291703.00(प्रतिपूरक वृक्षारोपण) + 1591247.00(एन0पी0वी0) = रू0 28,82,950.00(रू0 अठ्ठाईस लाख बयास्सी हजार, नौ सौ पचास) की धनराशि जमा करा ली गई है।(संलग्नक–1 चालान) प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि से पेडो की कटाई का न्यूनतम कर देगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार 33 पेड एवं 07 sappling से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेषण में कटेंगे।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।

Scanned with OKEN Scanner

	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	
7	राज्य सरकार द्वारा प्रेषित शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना पत्र (NPV Sheet) में अंकित की गयी है परन्तु ऑनलाईन पार्ट– II के पैरा 4 में ECO-Class III का उल्लेख किया गया है। अतः राज्य सरकार इस सम्बन्ध में सही सूचना इस कार्यालय में प्रेषित करेगी।	सूचना प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय से सम्बन्धित है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाऐंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा के खाते में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से धनराशि जमा की जा चुकी है।
9	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी साथ ही राज्य सरकार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
10	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला क्लेकटर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों पर पौधों की सख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र (संलग्नक–2 पर)
12	संरक्षित क्षेत्रो/वन क्षेत्र में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगे।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
13	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। (संलग्नक–3 पर)
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों का राज्वीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
17	संबंधित वन मंण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर FORWARD/BACKWARD BEARINGS अंकित हो।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव मे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसिया विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तातरित नही की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
21	इनमे से किसी भी शर्त का उल्लवन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल सं0 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2019 के अनुसार उस पर कारवाई होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
22	पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मत्रांलय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित मे समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।

Scanned with OKEN Scanner

	वन विभाग क पर्यवेषण मे तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेबारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
25	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/)पर अपलोड की जाएगी।	अपलोड आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार 4-4 प्रति

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
थराली

पत्रांक /36 सी0 दिनांकित / /

प्रतिलिपिः— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0,लो0नि0वि0
थराली

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक (1)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-11-2022

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6136547436
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/82/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	TharaliChamoli
Amount(in Rs)	2882950/-

Amount in Words :Twenty-Eight Lakh Eighty-Two Thousand Nine Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896136547436 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through ch even after 7 working days, then kindly mail a copy of id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@ ubin0903710@unionbankofindia.bank

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
निoखo लो०नि०वि०
थराली (चमोली)

Executive Engineer
Cont. Divi. - P.W.D
Tharali (Chamoli)
23/11/22

State Bank of India 03560 Tharali

Attested

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
थराली (चमोली)

Scanned with OKEN Scanne

Scanned with OKEN Scanner

1/1342/2022

आदेश –

जनपद चमोली में नारायण बगड़ चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.583 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 3.166 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु उप महानिरीक्षक, वन(के0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0--08बी/यू0सी0पी0/06/82/2021/एफ0सी0/228 दिनांक 17.05.2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उप महानिरीक्षक, वन(के0), पर्यावरण वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/82/2021/एफ0सी0/223 दिनांक 17.05.2022 की शर्त सं0–3(क) के अनुसार एवं उप जिलाधिकारी थराली की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली में नारायण बगड़ चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.583 है0 वन भूमि के एवज में ग्राम सुया रा0उ0नि0 क्षेत्र मुन्दोली तहसील थराली की ख0खा0सं0–44 के खसरा सं0–2083 रकबा 6.359 है0 भूमि मध्ये 3.166 है0 जो कि नॉनजेडए श्रेणी--9(3)ड. अन्य कारणों से कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVII(II)/2012--18(120)/2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 1526/छब्बीस-- /एल0आर0सी0 (2022–2023) गोपेश्वर: दिनांक: 23 दिसम्बर, 2022

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
7. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, थराली।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, थराली।

Signed by Himanshu Khurana
Date: 26-12-2022 14:55:24

(हिमांशु खुराना)
जिलाधिकारी,
चमोली।

Attested

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
थराली (चमोली)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI
e_mail :- pwdtharali@gmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शर्त सं0 11 के अनुसार सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनो किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0,लो0नि0वि0,
थराली

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI
e_mail :- pwdtharali@gmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0,लो0नि0वि0,
थराली

Scanned with OKEN Scanner

Attachement 2.37

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :-जनपद चमोली में नारायणबगड़–चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.583 हे0 वन पंचायत, कुल 1.583 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
थराली, चमोली

JE

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
थराली (चमोली)